FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उमेश कुमार बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर वगैरह

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र अधा. 131, 132 एल.आर.एक्ट, मुकदमा नम्बर 90/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.06.2023	प्रार्थी की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड. ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अधा. 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। प्रार्थना पत्र 131, 132 एल.आर.एक्ट दर्ज रजिस्टर की जावें। अप्रार्थीगण को तलबी जरिये नोटिस मय नकल साधारण तरीके से एवं रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 26.06.2023 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
26.06.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 की तामील असालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमती विमला देवी स्वंय हाजिर अदालत उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित ... अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सहमति प्रदान कर दिये जाने से वकील प्रार्थी ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 10:22:34 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश कुमार बनाम भूमिधारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म जारी
	प्रार्थना पत्र 136 RR मु.नं. - 90/2023	
	किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Rathore 26/06/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 10:22:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
90 / 2023	2023 / 659	14.06.2023	26.06.2023

उनवान प्रकरण

1. उमेश कुमार पुत्र छोटूराम आयु 47 वर्ष जाति मीणा निवारी ढाणी नयाबारी तन् ग्राम लाखा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान

–– प्रार्थी––

बनाम्

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2. बिमला देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति मीणा निवासी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

–– अप्रार्थीगण ––

उपस्थितः–

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 प्रार्थी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं [illegible]0 आर0 एक्ट
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] अधि0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 10:22:34 IST
Reason: SelfAttested

26/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 एवं 132 एल0 आर0 एक्ट खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नम्बर 931/2 रकबा 6.71125 हैक्टर तन् ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित हैं। न्यायालय सहायक कलैक्टर फास्ट ट्रैक श्रीमाधोपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.02.2023 (अंतिम डिक्री) दावा उनवानी उमेश कुमार बनाम् रामोतार आदि दावा संख्या 206/2016 में प्रार्थी के हक में बंटवारा की डिक्री इस आशय की पारित की गयी की वादी को भूमि खसरा नम्बर 931/5 रकबा 1.8334 हैक्टर का अलग से बट्टा नम्बर डाला जाकर इसी अनुसार नक्शे में तरमीम किये जाने बाबत न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय पारित किया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की अनुपालना में राजस्व अधिकारियो यथा पटवारी हल्का व अन्य कर्मचारीगण द्वारा नक्शे में नवीन तरमीम करते समय जो नक्शा बनाया गया हैं, वह निर्णय के साथ जो नक्शा सलंग्न किया गया है, उसके अनुसार नक्शे में तरमीम नही की गयी। निर्णय अनुासर नक्शा पूर्वी तरफ आगे बढ़ाया जाना था, जो नही बढ़ाया गया है। उक्त नवीन तरमीम शुद्धि निर्णय व उसके साथ संलग्न नक्शा अनुसार पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 931/1 की दक्षिणी सीमा की तरफ बढ़ाकर नवीन तरमीम शुद्धि किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल. आर.एक्ट. पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 931/[illegible] का नक्शा न्यायालय द्वारा डिक्री के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 10:22:34 IST
Reason: SelfAttested

26/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

संलग्न नक्शा अनुसार उक्त नवीन नक्शे से पूर्वी तरफ व खसरा नम्बर 931/1 की दक्षिणी सीमा में बढाते हुये नवीन तरमीम शुद्धि किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी नम्बर 1 की सम्मन तामील जरिये साधारण तरीके से होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमती बिमला देवी स्वयं हाजिर अदालत होकर प्रार्थना पत्र की आदेशिका पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 एल0 आर0 एक्ट को स्वीकार किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार करते हुए अपने हस्ताक्षर अंकित किए। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपनी अनापत्ति प्रस्तुत कर दिए जाने से वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के अनुसार ग्राम थोई की विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 931/2 रकबा 6.71125 हैक्टर, तन् ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर [illegible] सीकर (राज0) पर यायालय सहायक कलैक्टर फास्ट ट्रैक श्रीमाधोपुर [illegible] निर्णय दिनांक 17.02.2023 (अंतिम डिक्री) दावा उनवानी उमेश कुमार बनाम् रामोतार आदि दावा संख्या 206/2016 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 10:22:34 IST
Reason: SelfAttested

26/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वादी/प्रार्थी के हक मे बंटवारा की डिक्री इस आशय की पारित की जाकर वादी/प्रार्थी को भूमि खसरा नम्बर 931/5 रकबा 1.8334 हैक्टर का अलग से बटा नम्बर डाला जाकर इसी अनुसार नक्शे मे तरमीम किये जाने बाबत निर्णय पारित किया गया था। जिसकी पालना में राजस्व अधिकारियो तथा पटवारी हल्का व अन्य कर्मचारीगण द्वारा नक्शे में नवीन तरमीम करते समय निर्णय के साथ जो नक्शा संलग्न किया गया था। उसके अनुसार नक्शे में तरमीम नही किया जाना प्रकट होता है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के संलग्न नक्शे में वर्णित पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 931/1 की दक्षिणी सीमा की तरफ बढ़ाकर नवीन तरमीम किया जाना उचित प्रतित होता हैं। जिससे न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की भी शत–प्रतिशत पालना हो जाएंगी तथा प्रार्थी द्वारा चाहा गया वांछित अनुतोष भी प्रार्थी को सुलभ हो जाएंगा। अतः इस स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 931/5 का नक्शा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2023 के संलग्न नक्शा अनुसार उक्त नवीन नक्शे से पूर्वी तरफ व खसरा नम्बर 931/1 की दक्षिणी सीमा की तरफ बढ़ाकर नवीन तरमीम शुद्धि किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से [illegible] प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 एवं 132 एल0 आर0 एक्ट का [illegible] थोई तहसील श्रीमाधोपुर में प्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 9[illegible]/5 रकबा 1.8334 हैक्टर का नक्शा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 10:22:34 IST
Reason: SelfAttested

26/05/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

न्यायालय सहायक कलैक्टर फास्ट ट्रैक श्रीमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2023 (अंतिम डिक्री) दावा उनवानी उमेश कुमार बनाम् रामोतार आदि दावा संख्या 206/2016 में प्रार्थी के हक में जारी बंटवारा की डिक्री के संलग्न नक्शा अनुसार उक्त नवीन नक्शे से पूर्वी तरफ व खसरा नम्बर 931/1 की दक्षिणी सीमा की तरफ बढ़ाते हुए नवीन तरमीम कर शुद्धि किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे पारित निर्णयानुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में आवश्यक तरमीम किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

26/06/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 26.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/06/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 10:22:34 IST
Reason: SelfAttested